भारत में भ्रष्टाचार से निपटने का प्रयास अभी भी जारी

परिचय

भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या रही है। यह समस्या किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही व्याप्त है। यह गंभीर समस्या सार्वजनिक जीवन और शासन के हर पहलू को छूती है। यह भारत की प्रगति में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, इसके संस्थानों को कमजोर करती है, भरोसा तोड़ती है और सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। आजादी के बाद से भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में काफी प्रगति हासिल की है। हालांकि, **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स** 2022 के अनुसार, **भारत 180 देशों में से 85वें स्थान पर है।** ऐसे में, भारत अभी भी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनने के लक्ष्य से काफी दूर है।

इस डॉक्यूमेंट में हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे:

1. "भ्रष्टाचार" का क्या आशय है और यह भारत में किस हद तक व्याप्त है? 2
   1.1. भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप कौन-से हैं? 2
   1.2. भारत में भ्रष्टाचार के जारी रहने के लिए उत्तरदायी मूल कारण कौन-से हैं? 2
2. भारत के विकास और प्रगति के मार्ग में व्यापक भ्रष्टाचार के क्या मायने हैं? 3
3. भारत अपनी व्यवस्थाओं और संस्थानों में भ्रष्टाचार की रोकथाम और उससे निपटने के लिए क्या कर रहा है? 5
   3.1. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किये गये हैं? 7
4. भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के भारत के प्रयासों में क्या बाधाएं हैं? 7
5. भारत किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकता है? 9

निष्कर्ष 10

टॉपिकः एक नज़र में 11

बॉक्स और टेबल 12

1. "भ्रष्टाचार" का क्या आशय है और यह भारत में किस हद तक व्याप्त है?

भ्रष्टाचार का अंग्रेजी शब्द "Corrupt" लैटिन भाषा के "Corruptus" शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दुरुपयोग करना या नष्ट करना। भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या है और इसका अर्थ है- **व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक पद या शक्ति का दुरुपयोग करना।** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसारः

भ्रष्टाचार = (एकाधिकार + विवेक) – (जवाबदेही + सत्यनिष्ठा + पारदर्शिता)

- **भ्रष्टाचार के कई रूप हैं।** इनमें शामिल हैं; रिश्वतखोरी, गबन, जबरन वसूली, नेटवर्किंग, पर्दे के पीछे लेन-देन, चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इत्यादि।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) के हालिया "करप्शन परसेप्शन इंडेक्स" के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति में **रिश्वतखोरी और व्यक्तिगत पहचान के उपयोग के सबसे अधिक मामले** देखे जाते हैं।
- हालांकि, इस सूचकांक में भारत का स्कोर पिछले एक दशक से स्थिर बना हुआ है, लेकिन कुछ तंत्र या व्यवस्थाएं जो भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद कर सकती हैं, कमजोर हो रही हैं।

1.1. भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप कौन-से हैं?

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार (Grand Corruption)

बड़े पैमाने पर या राजनीतिक भ्रष्टाचार सरकार के सर्वोच्च स्तर पर होता है। इसमें राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक प्रणालियों के साथ बड़े स्तर पर समझौते किए जाते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार आम तौर पर उन देशों में देखा जाता है जहां भ्रष्टाचार पर पर्याप्त निगरानी नहीं है या सत्तावादी या तानाशाही सरकारें हैं।

सामान्य भ्रष्टाचार (Petty Corruption)

सामान्य, नौकरशाही या प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामले क्रियान्वयन के स्तर पर देखे जाते हैं, जहां सेवा प्रदायगी के स्तर पर जनता का लोक अधिकारियों से संपर्क होता है।

उदाहरण के लिए- पंजीकरण कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आदि।

व्यवस्था के स्तर पर भ्रष्टाचार (Systematic corruption)

व्यवस्था संबंधी भ्रष्टाचार या एंडेमिक करप्शन मुख्य रूप से किसी संगठन या **प्रक्रिया की कमजोरियों के कारण** होता है।

यह किसी व्यवस्था के भीतर व्यक्तिगत अधिकारियों या एजेंटों द्वारा अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तरीके से अलग है।

1.2. भारत में भ्रष्टाचार के जारी रहने के लिए उत्तरदायी मूल कारण कौन-से हैं?

भ्रष्टाचार के मूल कारण **बहुआयामी** और पेचीदा हैं। इनमें संरचनात्मक, सामाजिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये कारक व्यक्तिगत सोच को आकार देते हुए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रकों में व्यक्तियों को भ्रष्ट आचरण में संलिप्त करते हैं। इस तरह देश में भ्रष्टाचार जारी रहता है।

- **संस्थागत कारक**
  - **व्यवस्था संबंधी मुद्दे:** निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ **विवेकाधिकार, सरकारी गोपनीयता** (ऑफिसियल सीक्रेट), **जटिल नौकरशाही संरचनाएं** और **प्रक्रियाएं** भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक कार्रवाई नहीं होने और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक मंच नहीं होने से देश में भ्रष्टाचार जारी रहता है।
    - उदाहरण के लिए- **बोफोर्स घोटाला 1986, चारा घोटाला 1996 और तेलगी का नकली स्टांप पेपर घोटाला 2002** जैसे भ्रष्टाचार के मुख्य मामलों में नौकरशाही की अक्षमताओं तथा पारदर्शिता और निगरानी तंत्र की कमियों का फायदा उठाया गया।

> "शक्ति में भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति होती है और अनन्य शक्ति में पूर्णतया भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होती है।"
>
>
>
> - लॉर्ड एक्टन

  - **चुनाव:** चुनाव के समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर होता है। इसकी मुख्य वजहें चुनाव में अधिक खर्च होना तथा व्यक्तिगत लाभ हैं। **राजनेताओं को रिश्वत देकर भविष्य में उनके प्रभाव का दुरुपयोग** किया जाता है, वहीं राजनेता **कदाचार के जरिये वोट खरीदते हैं।**
    - वर्ष 2008 के **'कैश फॉर वोट' घोटाले** में लोकसभा में विश्वास मत के दौरान, कई सांसद वोट के बदले कैश लेते हुए कैमरे में कैद किए गए थे।
  - **सार्वजनिक खरीद (Public procurement):** विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत में सरकारी अनुबंध (पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट) प्राप्त करने के लिए अनुबंध मूल्य का औसतन 15% रिश्वत देना होता है।
  - **स्वतंत्र एजेंसी का अभाव:** भ्रष्टाचार की जांच करने वाली मौजूदा एजेंसियां, जैसे कि सीबीआई या तो सरकार या नौकरशाहों के नियंत्रण में हैं। इस तरह ये एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।
- **मानदंड और मूल्य**
  - **नैतिक मूल्यों की कमी:** **रटंत विद्या पर अधिक ध्यान तथा मूल्य युक्त शिक्षा पर कम ध्यान** देने से बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
  - **सामाजिक स्वीकृति:** समय के साथ, **भ्रष्टाचार को सामाजिक कलंक मानने की प्रवृत्ति में कमी** आई है। ऐसे में, इसकी सामाजिक स्वीकृति और इसके प्रति सहनशीलता बढ़ रही है।
- **सामूहिक कार्रवाई की समस्या**
  - **कम पारिश्रमिक मिलना:** उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था में औसत से कम पारिश्रमिक या कम पारिश्रमिक मिलता है। इससे सरकारी अधिकारी आय अर्जित करने के अवैधानिक और गैरकानूनी तरीकों का सहारा लेने के लिए मजबूर होते हैं।
    - पुलिस अधिकारियों की रिश्वतखोरी और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को अक्सर कम वेतन से जोड़कर देखा जाता है।
  - **प्रतिस्पर्धा:** सत्ता, पद, नौकरी और शिक्षा के स्तर पर सामाजिक प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार को जारी रखती है।

- **कार्य-प्रणाली संबंधी मुद्दे**
  - **कार्यान्वयन में कमियां:** हालांकि, भारत में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु मजबूत शासकीय संरचना, निगरानी करने वाले संस्थान (केंद्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इत्यादि), कानून (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) और नीतियां मौजूद हैं। फिर भी, नीतियों/ कानूनों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन या अनुपालन में बहुत बड़ा अंतर मौजूद है।
    - » वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल घोटाले ने आयोजन समिति के भीतर भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के अनुपालन और कार्यान्वयन संबंधी कमियों को उजागर कर दिया था।
  - **अपारदर्शी प्रणाली:** सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच के अभाव के कारण जांच प्रक्रिया के साथ-साथ जवाबदेही तय करने में बाधा आती है। इससे चोरी-छिपे (बंद दरवाजों के पीछे) भ्रष्टाचार करना आसान हो जाता है।
    - » जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आने वाले लाभार्थियों को उनके वाजिब हक़ और खाद्यान्न आपूर्ति के बारे में जानकारी तक पहुंच नहीं होती है, तब भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है।

बॉक्स 1.1. भ्रष्टाचार करने के लिए व्यक्ति की सोच को बढ़ावा देने वाले मूल कारण

कारक	व्यक्ति की सोच
संस्थागत/ उच्च पद पर बैठे लोगों की समस्याएं (Institutional/Principal-Agent problems)	मेरे पास भ्रष्टाचार करने के अवसर हैं। मैं शायद पकड़ा नहीं जाऊंगा और यदि पकड़ा भी गया, तो मुझे शायद ही सज़ा मिलेगी।
सामूहिक कार्रवाई संबंधी समस्याएं (Collective action problems)	व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, तो फिर इसे बदलने का प्रयास भी क्यों करें? विरोध करना निरर्थक और अतार्किक है। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति क्यों बनूँ जो उपलब्ध अवसरों से लाभ नहीं उठाए?
मानदंडों और मूल्यों को उचित ठहराना (Justifying norms and values)	चीजें इसी तरह काम करती हैं। मेरे पास सोचने के लिए मेरा परिवार, समुदाय, सहकर्मी, बॉस और राजनीतिक दल हैं। वे सभी मुझ पर भरोसा करते हैं।
कार्य-प्रणाली संबंधी समस्याएं (Functionality issues)	व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। कार्यों को पूरा करने के लिए या फिर स्थिति को बदतर बनने से रोकने के लिए भ्रष्टाचार ही संभवतः एकमात्र विकल्प बचा है।

2. भारत के विकास और प्रगति के मार्ग में व्यापक भ्रष्टाचार के क्या मायने हैं?

भ्रष्टाचार का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय, लगभग सभी क्षेत्रकों में देखे जा सकते हैं।

- **आर्थिक प्रभाव**
  - **आर्थिक संवृद्धि में कमी:** भ्रष्टाचार की वजह से संसाधनों का दक्षता से उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही, यह बाजारों को विकृत करता है, गुणवत्ता से समझौता करता है। इससे देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
    - » अनुमान बताते हैं कि भारत में सरकार को कर चोरी से सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपये तथा परियोजनाओं में देरी से 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
  - **प्रतिकूल कारोबारी माहौल:** उच्च स्तर पर किए गए भ्रष्टाचार से विदेशी और घरेलू निवेशक निवेश करने से कतराते हैं।
- **सामाजिक प्रभाव**
  - **लोगों के विश्वास का क्षरण:** भ्रष्टाचार की वजह से सरकार में जनता का विश्वास कम हो जाता है और सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता कम हो जाती है।
    - » उदाहरण के लिए- वर्ष 2007 के 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और 2012 का कोयला घोटाला या कोलगेट जैसे भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद तत्कालीन सरकार में लोगों का भरोसा कम हुआ था।

> **"सरकार की सत्यनिष्ठा में जनता का विश्वास लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है।"**
>
>
>
> **- एडलाई स्टीवेन्सन**

  - **सेवाओं तक पहुंच:** भ्रष्टाचार की वजह से स्वास्थ्य-देखभाल, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति बाधित होती है। इसका सबसे अधिक खामियाजा कमजोर समुदायों को उठाना पड़ता है।
    - » **कोविड-19 के दौरान भी स्वास्थ्य-देखभाल में भ्रष्टाचार** देखा गया। इसके कुछ उदाहरण हैं; स्वास्थ्य-देखभाल निधि के गबन, एक्सपायरी वैक्सीन लगाना, स्वास्थ्य क्षेत्रक के अनुबंधों में धोखाधड़ी।
  - **गरीबी में बढ़ोतरी:** भ्रष्टाचार के कारण धन का समान वितरण नहीं हो पाता है। यह स्थिति गरीबी और असमानता को बढ़ावा देती है।
  - **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** भ्रष्टाचार की वजह से **अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई अभिव्यक्ति** की स्वतंत्रता बाधित होती है।
    - » मीडिया हाउस, राजनेताओं, लॉबिस्ट्स के बीच मिलीभगत से फेक न्यूज़ का प्रसार हो सकता है, पेड न्यूज संस्कृति में वृद्धि हो सकती है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता में बाधा उत्पन्न होती है।
  - **मानवाधिकार:** भ्रष्टाचार, न्याय में जनता के विश्वास को कम करता है। साथ ही, यह मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने की **न्यायिक प्रणालियों की क्षमता को कमजोर करता है।**
  - **लैंगिक असमानता:** भ्रष्टाचार की वजह से अवसरों और सार्वजनिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच बाधित होती है। यह कम अधिकार वाले लोगों को अधिक प्रभावित करता है। यह अक्सर **जेंडर-विशिष्ट समस्याओं जैसे कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल ब्राइबरी);** सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भेदभाव को जारी रखता है।
    - » ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्ययन के अनुसार, जिन देशों में रिश्वतखोरी की घटनाएं अधिक होती हैं, वहां प्रसव के दौरान मृत्यु की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है।

- **राजनीतिक प्रभाव**
  - **लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करना:** भ्रष्टाचार राजनीतिक प्रक्रियाओं को विकृत करता है, और चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है।
  - **विधि के शासन में बाधा:** भ्रष्टाचार के कारण कानूनों का चयनात्मक प्रवर्तन (Selective enforcement) होता है और सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही से बच जाते हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** भ्रष्ट अधिकारी अवैध पर्यावरणीय गतिविधियों, जैसे- अवैध शिकार, अवैध कटाई, या विषाक्त अपशिष्ट डंपिंग को परमिट दे सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** अधिकारियों और डीलरों के बीच भ्रष्ट गठजोड़ के कारण गैंडे के सींग का अवैध व्यापार जारी है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव**
  - **संगठित अपराध और भ्रष्टाचार के बीच संबंध:** भ्रष्टाचार संगठित अपराध का समर्थन करता है। अपराधी, नौकरशाह और राजनीतिक गठजोड़ की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
  - **संघर्ष और सामाजिक अशांति:** भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण होता है। इस तरह ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिनसे विभिन्न समूहों के बीच विभाजन पैदा होता है और संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है। इससे विधि के शासन को भी नुकसान पहुंचता है।
  - इससे विदेशी तत्वों को भी देश पर अनुचित प्रभाव डालने का अवसर मिल जाता है।

बॉक्स 2.1. भ्रष्टाचार अनैतिक क्यों है?

- **कर्तव्यशास्त्र का सिद्धांत (Deontological theory):** यह सिद्धांत दार्शनिक इमैनुएल कांट से संबंधित है। यह कार्य में अंतर्निहित नैतिकता पर बल देता है। इस सिद्धांत में किसी कार्य (एक्शन) के नैतिक रूप से सही या गलत होने का निर्धारण नैतिक कर्तव्य के पालन के आधार पर किया जाता है। **भले ही उस कार्य का परिणाम कुछ भी हो।** अर्थात, यह सिद्धांत कार्य के नैतिक होने पर बल देता है।
  - भ्रष्टाचार में रिश्वतखोरी, गबन, धोखाधड़ी और सत्ता के दुरुपयोग जैसे अनैतिक कार्य शामिल होते हैं। इन कार्यों को आम तौर पर नैतिक रूप से गलत माना जाता है क्योंकि इनमें बेईमानी, शोषण तथा नैतिक सिद्धांतों और कर्तव्यों का उल्लंघन शामिल होता है।
- **परिणामवादी सिद्धांत (Consequentialist theories):** उपयोगितावाद परिणामवादी नैतिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसी कार्य की नैतिकता का निर्धारण उसके आउटकम या परिणामों (साध्य) के आधार पर करते हैं। इसमें किसी कार्य को नैतिक रूप से तभी सही माना जाता है यदि उससे सर्वोत्तम समग्र परिणाम प्राप्त होते हों या **अधिकतम व्यक्तियों का सुख अधिकतम** होता हो।
  - आम तौर पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक परिणाम होते हैं, जैसे- **आर्थिक अक्षमता, संसाधनों का असमान वितरण, संस्थानों से विश्वास उठ जाना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में विकृति आना।**
- **सद्गुण नैतिकता (Virtue ethics):** यह सिद्धांत किसी कर्तव्य के पालन हेतु या अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य करने की बजाय सद्चरित्र और सद्गुण की भूमिका पर बल देता है। सदाचार नैतिकता से संबंधित अधिकांश सिद्धांत अरस्तू के दर्शन से प्रेरित हैं। अरस्तू का मानना था कि एक सद्गुणी व्यक्ति वह है जिसमें **आदर्श चारित्रिक गुण मौजूद हैं।**
  - भ्रष्टाचार ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, विश्वास, निष्पक्षता जैसे सद्गुणों का खंडन करता है और व्यक्तियों की नैतिक उत्कृष्टता के रूप में विकास को बाधित करता है।

3. भारत में तंत्रों और संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है?

भ्रष्टाचार का विस्तार और हानिकारक प्रकृति समाज एवं अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। इसलिए, भ्रष्टाचार के स्तर को कम करने के लिए कई ठोस प्रयास किए गए हैं।

टेबल 3.1. भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए किए गए प्रयास

विनियामक ढांचा	
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013	लोक पदाधिकारियों के खिलाफ **भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त नामक निकायों की स्थापना** की गई है। उदाहरण के लिए लोकपाल **प्रधान मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों** के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। इसी प्रकार, लोकायुक्त के दायरे में **मुख्यमंत्री सहित राज्य के अन्य मंत्री व निर्वाचित पदाधिकारी** आते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	इसका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता, निष्पक्षता, न्यायपूर्ण व्यवहार, जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना को शामिल करना है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)- कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय	यह सार्वजनिक क्षेत्रक में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मुख्य पुलिस जांच एजेंसी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)- वित्त मंत्रालय	लोक सेवकों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन **प्रवर्तन निदेशालय व वित्तीय आसूचना इकाई** की अधिकारिता के तहत आते हैं।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)	यह **सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था** है। इसके कार्यों में शामिल हैं- वित्तीय क्षेत्रक **में वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी** को उजागर करना।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)	इसके मुख्य कार्य हैं- प्रत्येक चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को विनियमित करना, उम्मीदवारों और दलों द्वारा चुनाव संबंधी अभियानों पर किए जाने वाले व्यय की सीमा निर्धारित करना तथा इस व्यय की निगरानी करना।

कानूनी ढांचा	
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम (PCA), 2018	यह अधिनियम प्रावधान करता है कि कोई भी लोक सेवक जो सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के बदले किसी से कोई अनुचित लाभ स्वीकार करता है या लाभ लेने का प्रयास करता है, उसे **न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की जेल** की सजा दी जाएगी।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018	**बेनामी लेन-देन, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, आयकर चोरी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम** आदि से संबंधित मामले इसके दायरे में आते हैं।
व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014	यह लोक सेवकों द्वारा कथित भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की जांच करने तथा **किसी संगठन आदि में गलत या गैर-कानूनी कार्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा** के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
कंपनी अधिनियम, 2013	यह **कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट क्षेत्रक में भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की रोकथाम** के लिए प्रावधान करता है। ▻ इस अधिनियम के तहत **गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)** की स्थापना की गई है। इसे **सफेदपोश अपराधों/ धोखाधड़ी का पता लगाने और अभियोजन** के लिए स्थापित किया गया है।
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010	यह देश में संदिग्ध **विदेशी लेन-देन को प्रतिबंधित करता है तथा विदेशी योगदान को विनियमित** करता है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005	यह एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से भारतीय नागरिकों को **सूचना तक आसान और अधिक पहुंच प्रदान** करता है। ▻ उल्लेखनीय है कि कि **राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित घोटालों का खुलासा** एक RTI आवेदन के द्वारा ही हुआ था।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002	**यह धन शोधन (Money-Laundering) को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने** का प्रावधान करता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860	इस संहिता की **धारा 169** किसी लोक सेवक द्वारा **अवैध रूप से संपत्ति खरीदने या उस संपत्ति के लिए बोली लगाने** से संबंधित है। ▻ **धारा 409** एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग (Criminal breach of trust) से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले	
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6A को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।	**DSPE अधिनियम को** केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लागू किया गया है। ▷ DSPE अधिनियम की धारा 6A (2003 में शामिल) के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को **संयुक्त सचिव और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी** के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती थी। ▷ **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ वाद (2014)** में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष न्यायालय का मानना था कि यह प्रावधान अनुच्छेद 14 के **'समानता के अधिकार'** का उल्लंघन करता है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया है कि उसका 2014 का निर्णय **पूर्व-प्रभाव (Retrospective) से लागू** होगा, अर्थात 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामलों पर भी उसका निर्णय लागू होगा।

डिजिटलीकरण पहलें	
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, MeitY	इसके तहत डिजीलॉकर, ई-हॉस्पिटल, ई-साइन, MyGov, डिजिटल विलेज जैसी पहलों ने **पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से सीधे लाभार्थियों तक महत्वपूर्ण सेवाएं पहुंचाने में मदद** की है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	यह सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद में सक्षम बनाता है। इससे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस-एकीकृत उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण (API-integrated user authentication) के माध्यम से **पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और भ्रष्टाचार का जोखिम कम** होता है।

नागरिक समाज संगठनों द्वारा नवाचारी पहलें	
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	यह जनाग्रह नामक संगठन द्वारा रिश्वत भुगतान गतिविधि पर नज़र रखने के लिए बनाया गया एक नागरिक संचालित तंत्र है। इसमें ऐसे उदाहरण भी हैं जब लोगों ने रिश्वत भुगतान का विरोध किया था या अच्छी सरकारी प्रणालियों के कारण उन्हें रिश्वत नहीं देनी पड़ी थी।
शून्य रुपए का नोट **(Zero Rupee Note)**	इसे 5th Pillar (तमिलनाडु स्थित एनजीओ) द्वारा रिश्वतखोरी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनता को उनके अधिकारों तथा उपलब्ध वैकल्पिक समाधानों को बताने के लिए बनाया गया था। ▷ यह नोट भारतीय बैंक नोटों के समान हैं लेकिन उन पर नारा है, "सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करो"।

बॉक्स 3.1. प्रौद्योगिकी: भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों को बढ़ाने का उपकरण

भ्रष्टाचार-रोकथाम के क्षेत्र में, आईसीटी से लेकर नई प्रौद्योगिकियों तक **प्रौद्योगिकी** सबसे बड़े सहयोगियों में से एक बन गई है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने में योगदान दे सकती हैं, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से भ्रष्टाचार रोकने में सहायक है। यह प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार का पता लगाने, विश्लेषण करने, जांच करने, पूर्वानुमान करने और निगरानी करने के लिए डिजिटल उपकरणों के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से सूचना तक पहुंच {उदाहरण के लिए निगरानी के लिए (open data) खुला डेटा} के माध्यम से भ्रष्टाचार रोकने में सहायक है।

नई प्रौद्योगिकियों और सत्यनिष्ठा तथा भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के बीच संबंध

नई तकनीकें

कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रणालियाँ- ये भ्रष्टाचार का पता लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं।

ब्लॉकचेन और डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी- यह पारदर्शिता, रिकॉर्ड और जानकारी की उच्च स्तर की सुरक्षा तथा अखंडता प्रदान करने में सक्षम है।

बिग डेटा एनालिटिक्स

यह संगठनों और उनके लेन-देन (Transactions) का पता लगाने, जांच, निगरानी और ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है। यह पूर्वानुमान के लिए विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन भी करता है।

भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों को बढ़ाने के लिए नवीन उपकरण →

सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार-रोधी उपाय

पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिकता और सत्यनिष्ठा, खुलापन, भागीदारी, समावेशिता

नैतिक उपयोग को बढ़ावा देता है और दुरुपयोग के जोखिम को कम करता है। ↑

↓ एक सक्षमकारी वातावरण का निर्माण करता है।

पारंपरिक विनियमन, नीति और शासन प्रक्रियाओं की पूरकताओं के लिए **डिजिटल प्रशासन, संस्थागत संरचना और नियमों का एक प्रभावी सेट; इसमें डेटा नीतियां और कानून** शामिल हैं जो डेटा संग्रह, भंडारण, संरक्षण और सुरक्षा को संबोधित करते हैं।

3.1. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किये गये हैं?

टेबल 3.2. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विश्व स्तर पर उठाए गए कदम

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC)	यह कानूनी रूप से **बाध्यकारी एकमात्र सार्वभौमिक भ्रष्टाचार-रोधी अभिसमय** है। भारत ने 2011 में UNCAC की अभिपुष्टि की थी। ▻ **कन्वेंशन में पांच मुख्य क्षेत्र शामिल हैं**- निवारक उपाय, अपराधीकरण और कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की पुनर्प्राप्ति,तथा तकनीकी सहायता और सूचना का आदान-प्रदान।
G20 भ्रष्टाचार-रोधी कार्य समूह (ACWG)	**भारत की G20 अध्यक्षता** के तहत, G20 के सदस्यों ने भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। साथ ही G20 के निम्नलिखित **तीन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का समर्थन किया है:** ▻ भ्रष्टाचार से निपटने के लिए **कानून को लागू करना और सूचना साझा** प्रणाली को मजबूत करना। ▻ भ्रष्टाचार से निपटने के लिए **संपत्ति की पुनर्प्राप्ति व्यवस्था को मजबूत करना।** ▻ भ्रष्टाचार की रोकथाम और इसका मुकाबला करने के लिए जवाबदेह **सार्वजनिक संस्थाओं और प्राधिकरणों की सत्यनिष्ठा और प्रभावशीलता को बढ़ावा** देना।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)	**यह लाभ अर्जक स्वामित्व (Beneficial ownership) पर FATF मानकों को सख्ती से लागू करके** भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में सहायता करता है। यह व्यवस्था भ्रष्टाचारियों को धन छिपाने से रोकती है।
विश्व बैंक का 'वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स (WGI)'	यह विश्लेषकों को अलग-अलग देशों और बदलते समय के साथ प्रशासन में व्याप्त कमियों के पैटर्न का आकलन करने में मदद करता है। ▻ यह **प्रशासन के छह आयामों** के आधार पर 200 से अधिक देशों के क्षेत्रों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है। ये छह आयाम हैं- अभिव्यक्ति और जवाबदेही; राजनीतिक स्थिरता और हिंसा/आतंकवाद की अनुपस्थिति; सरकार की प्रभावशीलता; विनियामक गुणवत्ता; कानून का शासन; भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
सतत विकास लक्ष्य (SDGs)	**सतत विकास लक्ष्य-16 (शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं)** एक संस्थागत सिद्धांत के रूप में भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के महत्व को स्वीकार करता है।
अन्य अनूठी पहलें	▻ **ऑस्ट्रेलिया:** ऑस्ट्रेलिया का इंटीग्रिटी कमीशन देश की कई संघीय सत्यनिष्ठा एजेंसियों को एक संगठन के तहत एकीकृत करता है। ▻ **इंडोनेशिया: 'मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली एक महिला हूँ'** (I am a woman against corruption) नामक पहल शुरू की गई है। इसके तहत 2,000 से अधिक महिलाओं को भ्रष्टाचार-रोधी चैंपियन बनने और फिर अपने संगठनों के भीतर सुधार करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

4. भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के भारत के प्रयासों में क्या बाधाएं हैं?

आर्थिक क्षेत्र में भारत को मिली हाल की सफलताएं भी देश के कॉर्पोरेट, नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग में व्याप्त व्यवस्थागत भ्रष्टाचार को कम करने में असमर्थ रही हैं। इसकी वजह कई चुनौतियां हैं। **कुछ मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं:**

- **जांच में देरी:** भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली विशेष एजेंसियों को वित्तीय धोखाधड़ी जैसे **अपराधों की तकनीकी प्रकृति के कारण अधिक समय** लगता है। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में दस्तावेज इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने में समय लगता है। इससे आरोप पत्र दाखिल करने में देरी होती है।
- **समन्वय की कमी: सीबीआई, राज्य भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो और सतर्कता विभागों** सहित कई एजेंसियों के जांच-क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र अक्सर एक-दूसरे से मिलते हैं। इससे भ्रष्टाचार की जांच सही तरीके से नहीं हो पाती है और इसमें देरी हो जाती है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव:** धोखाधड़ी वाले लेनदेन अत्यधिक तकनीकी स्वरूप वाले होते हैं। इनकी जांच करने के लिए एजेंसियों को लेनदेन की प्रकृति और किसी कानून के उल्लंघन को समझने के लिए लेखा परीक्षकों, वकीलों, वैज्ञानिकों जैसे विशेषज्ञों से तकनीकी मदद की जरूरत पड़ती है।
- **अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका:** भारतीय न्यायपालिका में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित हैं। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी लंबी और जटिल है।
  - **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार** सीबीआई द्वारा जांच किए गए लगभग 6,841 भ्रष्टाचार के मामले अलग-अलग अदालतों में लंबित थे। इनमें से 313 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
- **कानून को लागू करने में समस्या:** उच्च पद पर बैठे अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले केस के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। **भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी** के कारण कानून सही तरीके से लागू नहीं हो पाता है। इससे कई भ्रष्ट अधिकारी सजा से बच जाते हैं।
- **आंतरिक लेखापरीक्षा में समन्वय की कमी: इससे सीमित तौर पर उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग नहीं** हो पाता है, रिपोर्ट्स में अंतर आ जाता है और निगरानी भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। स्वतंत्र ऑडिट की कमी और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी भी रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाती है।

- **रिक्ति और प्रदर्शन:** लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में लोकपाल की अध्यक्षता वाली एक संस्था यानी लोकपाल की स्थापना का प्रावधान है। हालांकि, प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 2019 में की गई, जिससे यह संस्था लगभग 6 वर्षों तक निष्क्रिय बनी रही।
- इसके अलावा, भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं क्योंकि इसने आज तक भ्रष्टाचार के आरोपी एक भी व्यक्ति पर अभियोजन नहीं चलाया है।

बॉक्स 4.1. एक छोटी सी वार्ता! भारत में लॉबिंग और भ्रष्टाचार

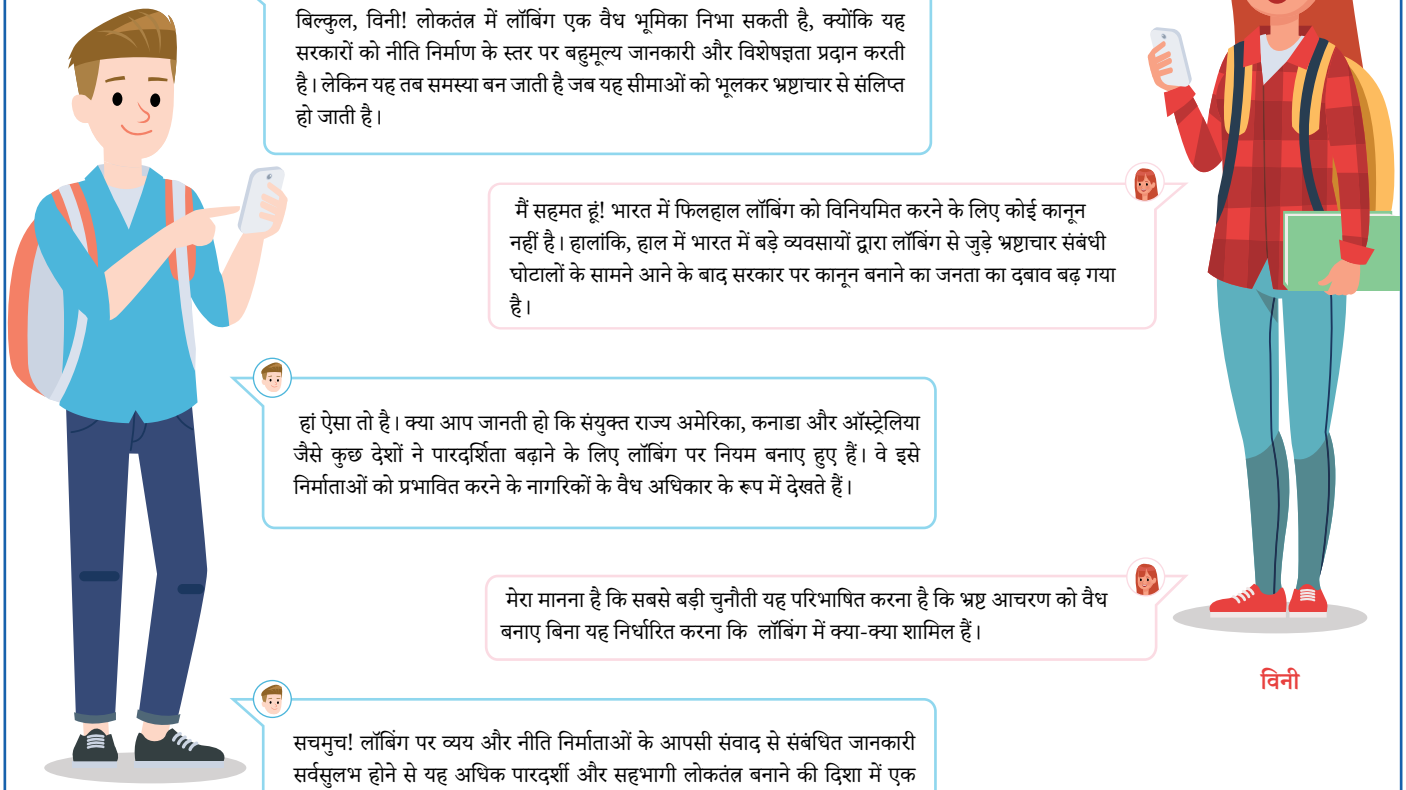

5. भारत किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकता है?

पिछले दो दशकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व गति जरूर देखी गई है, लेकिन, भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है। ये कदम निम्नलिखित हो सकते हैं-

- **संस्थागत उपाय**
  - **कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत बनानाः** सरकार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना होगा और उनका क्षमता निर्माण करना होगा। साथ ही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करना होगा।
  - **मीडिया को मजबूत बनानाः** भारतीय प्रेस परिषद जैसे विनियामक ढांचे को मजबूत करना, स्व-विनियमन को बढ़ावा देना और गलत सूचना फैलाने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराने के लिए तंत्र विकसित करना होगा।
  - **प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की मुख्य सिफारिशें:**
    - » भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो को राज्य सतर्कता आयोग के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।
    - » भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी जांच के लिए राज्यों की आर्थिक अपराध निवारण यूनिट को मजबूत करने की जरूरत है और मौजूदा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।
    - » नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए लोक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नैतिक संहिता का विकास किया जाना चाहिए।

> "सार्वजनिक सेवा को उस स्तर तक पहुंचना होगा जहां सत्यनिष्ठा जीवन का एक तरीका बन जाए और ईमानदारी एक नियमित अपेक्षा बन जाए।"
>
>
>
>
> -द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

- **नीतिगत उपाय**
  - **शासनः** भारत को कॉर्पोरेट गोपनीयता, विदेशी निवेशकों/कंपनियों द्वारा रिश्वतखोरी और इनके मिलीगत में कार्य करने वाले बैंकर्स, वकील जैसे पेशेवर लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है।
    - » प्रशासन में सुधार और भ्रष्टाचार के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर **राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-रोधी रणनीति (NACS) बनाई जा सकती है** (बॉक्स 5.1. देखें)।
  - **हितधारकों को शामिल करनाः** हितधारकों को एकजुट करके और सरकारी संस्थानों, लोक सेवकों, नागरिकों और व्यावसायिक समुदाय के कार्यों के बीच समन्वय करके एक व्यापक कार्यवाही, विश्वास और प्रतिबद्धता का निर्माण किया जाना चाहिए।
  - **पारदर्शिताः** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता को सार्वजनिक व्यय और संसाधन वितरण से संबंधित जानकारी सुलभ हो, समय पर मिले और ये जानकारी सार्थक हो।
- **आर्थिक उपाय**
  - **राजनीतिक चंदे में सुधारः पारदर्शिता बढ़ाने, चुनाव प्रचार व्यय को सीमित करने और धन स्रोतों को सार्वजनिक करने के लिए** राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को विनियमित करने की तत्काल आवश्यकता है।
    - » चुनावों में धन और बाहुबल के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए चुनाव व्यय का राज्य द्वारा वित्त पोषण करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः** अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और घरेलू कानूनी ढांचे के अनुरूप **आपराधिक तरीके से अर्जित आय का पता लगाने, उसे जब्त करने** और पीड़ितों और सरकारों को वापस करने के लिए **वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें वित्तीय कार्यवाही कार्यबल** (FATF) की सहायता करने और भ्रष्टाचार-रोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का **वैश्विक परिचालन नेटवर्क** (Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities: GlobE) का संचालन शामिल है।
- **सामाजिक उपाय**
  - **सार्वजनिक भागीदारीः** जागरूकता अभियान चलाकर और **मुखबिरों (Whistleblowers) को सुरक्षा प्रदान** करके जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए।
    - » लॉबिस्टों का सार्वजनिक रजिस्टर तैयार करने, लॉबिंग के दौरान वार्ता की सार्वजनिक जांच की अनुमति देने और हितों के टकराव से बचने के लिए मजबूत नियमों को लागू करने जैसे उपाय आवश्यक हैं।
  - **शिक्षा और जागरूकताः** कम उम्र से ही **ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा** देने के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल शिक्षा और साक्षरता को एकीकृत करना चाहिए।
  - **महिला सशक्तिकरणः** सत्ता के उच्च पदों पर अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने से से सेक्सुअल ब्राइबरी जैसे **भ्रष्टाचार के अदृश्य रूपों के मजबूत नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है,** तथा सार्वजनिक और सामाजिक सेवाओं आदि की डिलीवरी में सुधार हो सकता है।
    - » **महिला आरक्षण विधेयक 2023** सही दिशा में एक कदम है।

> "भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से उत्पन्न होती हैं? यह कभी न खत्म होने वाले लालच से आता है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज की स्थापना हेतु लड़ाई इसी लालच के खिलाफ लड़नी होगी और इसमें 'मैं किस तरह योगदान कर सकता हूँ' की भावना से बदलना होगा।"
>
>
>
> - ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

बॉक्स 5.1. NACS रणनीतिक स्तंभ

- समाज के सभी क्षेत्रों में सक्रिय नागरिकता, व्हिसल ब्लोइंग, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को **बढ़ावा देना और इन्हें प्रोत्साहित करना।**
- सार्वजनिक खरीद प्रणाली की **सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता में सुधार करना।**
- भ्रष्टाचार मुक्त कार्यस्थल बनाने में **कर्मचारियों के** योगदान को सहज बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में उनकी **पेशेवर क्षमता को मजबूत करना।**
- समर्पित भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसियों के संसाधन, समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रदर्शन, जवाबदेही और स्वतंत्रता को **मजबूत किया जाए।**
- संगठनों में प्रशासनिक निरीक्षण और परिणाम (consequence)प्रबंधन **को बढ़ावा** दिया जाए।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के द्वारा **भ्रष्टाचार की आशंका वाले क्षेत्रकों का बचाव किया जाए** क्योंकि इनके भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं के प्रभाव में आने की अधिक संभावना होती है।

निष्कर्ष

भारत में भ्रष्टाचार एक जटिल और बहुआयामी चुनौती बनी हुई है। यह समाज और शासन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं हो सकता है लेकिन इसे सहनीय सीमा के भीतर रखना संभव है। चूँकि भारत का लक्ष्य एक जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरना है इसलिए भ्रष्टाचार के मूल कारणों को दूर करने वाला बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देना तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना आवश्यक हो जाता है।

टॉपिक - एक नज़र में

भारत में भ्रष्टाचार से निपटने का प्रयास अभी भी जारी

भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या है और इसका अर्थ है- व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक पद या शक्ति का दुरुपयोग करना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, भ्रष्टाचार=(एकाधिकार + विवेक) - (जवाबदेही + सत्यनिष्ठा + पारदर्शिता)। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 के अनुसार, भारत 180 देशों में से 85वें स्थान पर है।

भारत में भ्रष्टाचार के जारी रहने के लिए उत्तरदायी मूल कारण

- **संस्थागत कारक**
  - **प्रणालीगत मुद्दे, जैसे-** आधिकारिक गोपनीयता और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए मजबूत सार्वजनिक मंच की कमी।
  - चुनाव में अधिक खर्च होना तथा व्यक्तिगत लाभ।
  - भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी का अभाव।
- **मानदंड और मूल्यः** मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर का अभाव और भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति।
- **सामूहिक कार्रवाई की समस्याः** कम पारिश्रमिक तथा शक्ति, स्थिति, नौकरियों और शिक्षा के संबंध में बाजार में प्रतिस्पर्धा।
- **कार्य-प्रणाली संबंधी मुद्दे, जैसे-** कानूनी ढांचे और नीतियों का खराब कार्यान्वयन और सूचना तक पहुंच का अभाव।

भारत के विकास और प्रगति के मार्ग में व्यापक भ्रष्टाचार के मायने

- **आर्थिक प्रभावः** भ्रष्टाचार संसाधनों के उपयोग में अक्षमताओं को बढ़ावा देता है, बाजारों को विकृत करता है और विदेशी तथा घरेलू निवेश को हतोत्साहित करता है।
- **सामाजिक प्रभावः** भ्रष्टाचार लोगों के विश्वास को नष्ट कर देता है, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में बाधा डालता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। साथ ही, यह सेक्सुअल ब्राइबरी जैसी समस्याओं से महिलाओं को प्रभावित करता है।
- **राजनीतिक प्रभावः** भ्रष्टाचार लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं को विकृत करता है और चुनाव के परिणामों को प्रभावित करता है।
- **पर्यावरण पर प्रभावः** भ्रष्टाचार अवैध शिकार, अवैध कटाई, या विषाक्त अपशिष्ट डंपिंग जैसी अवैध पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभावः** भ्रष्टाचार संगठित अपराध को बनाए रखता है और संघर्ष की स्थिति पैदा करता है।

भ्रष्टाचार को रोकने तथा उससे निपटने के लिए भारत के प्रयास

- **नियामक ढांचाः** लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013; केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC); केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI); भारत निर्वाचन आयोग; प्रवर्तन निदेशालय (ED);CAG
- **कानूनी ढांचाः** भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, कंपनी अधिनियम, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), भारतीय दंड संहिता (IPC)।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम 1946 की धारा 6A को रद्द कर दिया।
- **डिजिटलीकरण पहलें:** MeitY द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आदि द्वारा सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)।
- **सीएसओ की पहलः** 'मैंने रिश्वत दी' ऑनलाइन मंच; शून्य रुपये का नोट आदि।

भ्रष्टाचार से निपटने के भारत के प्रयासों में चुनौतियां

- अपराधों की तकनीकी प्रकृति के कारण जांच में देरी।
- एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी।
- **अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिकाः** 3 करोड़ लंबित मामले।
- **भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण कानून सही तरीके से लागू नहीं हो पाता है।**
- **रिक्ति और खराब प्रदर्शनः** प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 2019 में की गई, जिससे यह संस्था लगभग 6 वर्षों तक निष्क्रिय बनी रही।

आगे की राह

- कानून प्रवर्तन एजेंसियों और मीडिया को मजबूत बनाना।
- भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो को राज्य सतर्कता आयोग के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।
- हितधारकों को शामिल करना और सरकारी संस्थानों, लोक सेवकों, नागरिकों और व्यापारिक समुदाय के कार्यों का समन्वय करना।
- पारदर्शिता बढ़ाने, चुनावी अभियान व्यय को सीमित करने और फंडिंग स्रोतों का खुलासा करने के लिए राजनीतिक दलों के वित्तपोषण को विनियमित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप, आपराधिक आय को पकड़ने, जब्त करने और पीड़ितों और राज्यों को वापस करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाना।
- नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा और साक्षरता को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करना।
- सत्ता के उच्च पदों पर अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व।

बॉक्स और टेबल

बॉक्स 1.1. भ्रष्टाचार करने के लिए व्यक्ति की सोच को बढ़ावा देने वाले मूल कारण 3

बॉक्स 2.1. भ्रष्टाचार अनैतिक क्यों है? 4

बॉक्स 3.1. प्रौद्योगिकीः भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों को बढ़ाने का उपकरण 6

बॉक्स 4.1. एक छोटी सी वार्ता! भारत में लॉबिंग और भ्रष्टाचार 8

बॉक्स 5.1. NACS रणनीतिक स्तंभ 10

टेबल 3.1. भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने के लिए किए गए प्रयास 5

टेबल 3.2. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विश्व स्तर पर उठाए गए कदम 7

39 in Top 50 Selection in CSE 2022

1 AIR ISHITA KISHORE

2 AIR GARIMA LOHIA

3 AIR UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

– हिंदी माध्यम टॉपर –

66 AIR KRITIKA MISHRA

85 AIR BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR DIVYA

120 AIR GAGAN SINGH MEENA

173 AIR ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selection in CSE 2021

2 AIR ANKITA AGARWAL

3 AIR GAMINI SINGLA

4 AIR AISHWARYA VERMA

5 AIR UTKARSH DWIVEDI

6 AIR YAKSH CHAUDHARY

7 AIR SAMYAK S JAIN

8 AIR ISHITA RATHI

9 AIR PREETAM KUMAR

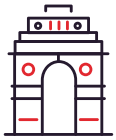
दिल्ली

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate-6, Karol Bagh Metro Station, Delhi

MUKHERJEE NAGAR CENTRE
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, Delhi

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

1 AIR SHUBHAM KUMAR CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद

भोपाल

चंडीगढ़

गुवाहाटी

हैदराबाद

जयपुर

जोधपुर

लखनऊ

प्रयागराज

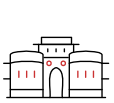
पुणे

राँची

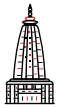
सीकर